संख्या–1234/81–2–2022–800(18)/2021

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल,
सेक्टर एच अलीगंज विस्तार,
उ0प्र0 लखनऊ।

**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2** **लखनऊ, दिनांक** 21 **जुलाई, 2022**

**विषयः–** हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो0 लि0 कानपुर द्वारा जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत फतेहपुर–जोनिहा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के किमी0 स्टोन संख्या–14.200 के मध्य बांयी पटरी पर गाटा संख्या–1502 ग्राम असवार तारापुर परगना फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला फतेहपुर में रिटेल आउटलेट पेट्रोल/डीजल पम्प के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रभावित 0.08047 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव संख्या–एफपी/यूपी/अप्रोच/48833/2020)

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–8बी/यूपी/06/74/2021/एफ.सी/425 दिनांक 30.09.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय शर्तो के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गई है। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–3376/11–सी–एफपी/यूपी/अप्रोच/48833/2020, दिनांक 30.05.2022 द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या मय अभिलेख सहित उपलब्ध करायी गई है।

2– अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 30.05.2022 द्वारा उपलब्ध करायी गई आख्या संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

**संलग्नक : यथोक्त।**

**भवदीय,**

(आशीष तिवारी)
सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

(आर0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

Data D. SO.Nodal.GOI Letter